न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/62

शहाबुद्धीन आत्मज श्री कालू उर्फ नुरूद्धीन गोद पुत्र रहीमा जाति मुसलमान तेली निवासी ग्राम कालामाल तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. बिसमिल्ला बेवा रहीमा जाति मुसलमान तेली निवासी कालामाल तहसील नैनवा जिला बून्दी।
2. पटवारी हल्का कालामाल पटवार मण्डल कालामाल तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. श्रीमान् तहसीलदार साहब नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेन्द्र जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 05.07.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 बिसमिल्ला ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम बांसी तहसील नैनवा जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 348 रकबा 05 बीघा व खसरा नम्बर 520 रकबा 07 बीघा 05 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया के पति रहीमा का देहावसान हो गया है और रहीमा के कोई संतान पैदा नहीं हुई वादिया मृतक रहीमा की पत्नी होने से उसकी सम्पत्ति की उत्तराधिकारी है ।

3. अतः वादिया के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का जमाबन्दी में से मृतक रहीमा का नाम हटाया जाकर वादिया का नाम बतौर खातेदार के रूप में अंकित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2015 के द्वारा वादीग का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में उक्त अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. उक्त अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी स्वर्गीय रहीमा के खातेदारी की भूमि थी । रहीमा द्वारा अपने जीवनकाल में रेस्पोडेन्ट कम 1 बिसमिल्ला की सहमति से अपीलान्ट को गोद लेकर अपना गोद पुत्र बनाया था । विवादित भूमि पर अपीलान्ट का ही कब्जा काश्त है । रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में तथ्यों को छुपाकर वाद पेश किया है । उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट कम 1 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । अपीलान्ट ही उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 12.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादग्रस्त आराजी वादिया रेस्पोडेन्ट कम 1 के पति मृतक रहीमा के खातेदारी की भूमि है जिस पर रेस्पोडेन्ट कम 1 का पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि वह उक्त भूमि को अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवाए । अपीलान्ट का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही उनका उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त रहा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 12.06.2015 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 188 का वाद प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हुए वादिया का वाद डिक्री कर दिया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट जो स्वयं को मृतक रहीमा का गोदपुत्र होना बताता है उसे प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है । प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का कितना स्वत्व है या नहीं यह तो विचारण न्यायालय में साक्ष्य एवं गवाह, बयान से साबित किया जाना है । ऐसी स्थिति में हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 12.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 28.08.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 05.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा